



YES BANK	पंजीकृत कार्यालय : यस बैंक लिमिटेड, वन इंटरनेशनल सेन्टर, टॉवर II, 15वीं मंजिल, सेनापती बाघट मार्ग, इन्फिन्स्टोन (प.) मुम्बई-400013. शाखा कार्यालय: यादिका सिटी पॉइंट, गुरुग्राम, हरियाणा, वेबसाइट: www.yesbank.in
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना	
सरकारी नियमों के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के अधीन प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के अधीन अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना	
एतद्वारा आम तौर पर जनसाधारण तथा विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटीदाताओं को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्तियां प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई थी / प्रभारित की गई थी, जिस पर यस बैंक लिमिटेड, प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया था, और (1) मेसर्स वुस्टी ट्रेडर्स, इनकी प्रोप्रा. श्रीमती उषा रानी द्वारा (''ऋणी''), (2) श्रीमती उषा रानी (''जमानतदार''), (3) श्री तेज सिंह (''जमानतदार'') एवं (4) श्रीमती मिश्रो देवी (''बंधककर्ता एवं जमानतदार'') से प्रत्याभूत ऋणदाता के प्रति 30 अप्रैल 2019 को बकाया रकम रु. 42,41,960/- (रुपये बयालीस लाख इकतालीस हजार नौ सौ साठ मात्र) एवं अनुबंध दर पर आगे का ब्याज एवं लागत की वसूली के लिए संबंधित संपत्तियों को 'जैसे हैं जहाँ हैं' तथा 'जैसे हैं जो कुछ हैं' व 'वहाँ जो कुछ भी है' के आधार पर 28 अप्रैल 2021 को विक्रय की जाएगी। निम्न संपत्तियों के निरीक्षण हेतु इच्छुक पार्टियों/निविदाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेकर दिनांक 17 अप्रैल 2021 को सुबह 11:00 बजे से दोप: 2:00 बजे तक कर सकते हैं।	
ऋणी/जमानतदार/ सुरक्षा प्रदाता के नाम	
(1) मेसर्स वुस्टी ट्रेडर्स, इनकी प्रोप्रा. श्रीमती उषा रानी द्वारा, जिसका कार्यालय पता है दुकान नं. 95, पुरानी सब्जी मंडी, तौरु-122105, हरियाणा एवं अन्य पता डीएच-58-ए, वार्ड नं.08, फौजी कॉलोनी, तौरु - 122105 हरियाणा (बाद में 'ऋणी' संदर्भित किया जाये),	
(2) श्रीमती उषा रानी (''जमानतदार''), निवासी - डीएच-58-ए, वार्ड नं.08, फौजी कॉलोनी, तौरु - 122105 हरियाणा एवं अन्य पता वुस्टी ट्रेडर्स दुकान नं. 95, पुरानी सब्जी मंडी, तौरु-122105, हरियाणा	
(3) श्री तेज सिंह (''जमानतदार'') निवासी-डीएच-58-ए, वार्ड नं.08, फौजी कॉलोनी, तौरु - 122105 हरियाणा एवं	
(4) श्रीमती मिश्रो देवी (''बंधककर्ता एवं जमानतदार'') निवासी-डीएच-58-ए, वार्ड नं.08, फौजी कॉलोनी, तौरु - 122105 हरियाणा	
बंधक संपत्ति का विवरण	
दुकान नं. सी-19, पुरानी कॉलोनी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाडी, राजस्थान-301019, वाणिज्यिक संपत्ति क्षेत्रफल 13.50 वर्गमीटर के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग। चतु:सीमा: पूर्व - दुकान नं. सी-6, पश्चिम - रोड़, उत्तर - दुकान नं. सी-18, दक्षिण - दुकान नं. सी-20	
30.04.2019 को बकाया राशि ₹ 42,41,960/- (रुपये बयालीस लाख इकतालीस हजार नौ सौ साठ मात्र)	
आरक्षित मूल्य (रु.): रु. 21,00,000/- (रुपये इक्कीस लाख मात्र)	
बयाना राशि (रु.): रु. 2,10,000/- (रु. दो लाख दस हजार मात्र)	
भौतिक आधिपत्य की दिनांक: 19.01.2021,	
मांग सूचना की दिनांक: 02.05.2019	
बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 23.04.2021 दोपहर 3:00 बजे तक	
ई नीलामी की तारीख व समय: 28.04.2021, 11:00 बजे से 2:00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के विस्तार के साथ	
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट www.yesbank.in पर प्रदत्त लिंक http://10.0.49.5/about-us/media/auktion-property देखें	
निविदा दस्तावेज / ई-बोली सूचीपत्र प्राप्त करने अथवा अचल संपत्तियों/प्रत्याभूत संपत्तियों के निरीक्षण में किसी भी तरह की परेशानी होने पर अथवा किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया यस बैंक लि. के संबंधित अधिकारी श्री श्रीनिवासन एम +91-9313576702, अथवा ईमेल: srinivasan.m1@yesbank.in तथा मेसर्स ई-प्रोक्रयोरमेंट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड (ऑक्सन टाईगर) अहमदाबाद के अधिकारियों से संपर्क करें वेब पोर्टल एड्रेस https://sarfaesi.auctiontiger.net बोलीदाता सहायता नं. 9265562821/18 & 9374519754, 079-68136880/68136837, ईमेल: support@auktiontiger.net एवं Chintan.bhatt@auktiontiger.net , संपर्क व्यक्ति :- श्री चितन भट्ट (मो.) 9978591888, (ऑ) 079-68136844.	
अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार हमारी बकाया रकम के साथ सभी लागतों, शुल्कों तथा हमारे द्वारा खर्च किए गए सभी रकमों का अगर बिक्री अथवा हस्तांतरण के लिए निर्धारित तारीख से पहले किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है, तो हमारे द्वारा प्रत्याभूत संपत्तियों की बिक्री अथवा हस्तांतरित नहीं की जाएगी तथा प्रत्याभूत संपत्तियों के हस्तांतरण अथवा बिक्री के लिए हमारी ओर से और कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी।	
कर्जदारों/गारंटीदाताओं के लिए बिक्री सूचना	
उपरोक्त को इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर भुगतान करने की बाध्यता के रूप में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के अधीन सूचना समझा जाए।	
स्थान: भिवाडी, दिनांक: 20.03.2021	ह/- प्राधिकृत अधिकारी